



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265283
CG-DL-E-07082025-265283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3538]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947

No. 3538]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3625(अ).— केंद्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 50) की धारा 5(1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 24 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2435(अ) (जिसे इसके बाद उक्त मूल अधिसूचना कहा जाएगा) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त मूल अधिसूचना, जिसे बाद में दिनांक 27 मई 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2427(अ), दिनांक 21 सितंबर 2022 के का.आ. 4408(अ) और दिनांक 11 नवंबर, 2022 के का.आ. 5251(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था, में क्रम संख्या 2 के सामने, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“श्री सोलोमन अरोकियाराज,
अपर सचिव
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
भारत सरकार

.....सदस्य”

[फा. सं. 4/1/2020-आरई]
अपर्णा भाटिया, आर्थिक सलाहकार

फुट नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 24 जुलाई, 2020 के का.आ. 2435(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसे दिनांक 27 मई 2022, की अधिसूचना संख्या का.आ. 2427(अ), दिनांक 21 सितंबर 2022 के का.आ. 4408(अ) और दिनांक 11 नवंबर, 2022 के का.आ. 5251(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

S.O. 3625(E).— In exercise of the powers conferred by section 5(1)(c) of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 2435(E) dated 24th July, 2020 (hereinafter referred to as the said Principal Notification), namely: -

In the said Principal Notification subsequently amended vide notification number S.O. 2427(E) dated 27th May 2022, S.O. 4408(E) dated 21st September 2022 and S.O. 5251(E) dated 11th November, 2022 against serial number 2, for the existing entry, the following shall be substituted, namely: -

“Mr Solomon Arokiaraj,
Additional Secretary
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Government of India

.....Member”

[F. No. 4/1/2020-RE]
APARNA BHATIA, Economic Adviser

Foot Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2435(E) dated the 24th July, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 2427(E) dated 27th May 2022 S.O. 4408(E) dated 21st September 2022 and S.O. 5251(E) dated 11th November, 2022